न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/218

1. संतोष पुत्री भवानी शंकर जी पत्नी ओम प्रकाश जाति मेहर ।
2. पार्वती बाई बेवा भवानी शंकर जाति मेहर निवासीगण रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी ।
3. जिला कलक्टर, कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री छोटूलाल जाटव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.10.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रोसली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खसरा नम्बर 186 की रकबा 0.65 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी को गैर कानूनी व अवैध तरीके से आवासीय प्रयोजनार्थ जरिये नामान्तरकरण संख्या 722/411 दिनांक 30.11.20212 को प्रतिवादी कम 01 ने अपने खाते दर्ज करवा लिया है । प्रतिवादीगण ने वादीगण को बिना सूचना दिये उनके कब्जे काश्त की आराजी को अनुचित व गैरकानूनी व अवैध तरीके से प्रतिवादी कम 03 से खुलवाया गया नामान्तरकरण संख्या 722/411 दिनांक 30.11.20212 शुरू से ही अवैध प्रभावहीन व शून्य है जिससे प्रतिवादी कम 01 को किसी भी प्रकार से वादीगण की आराजी पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होते हैं । प्रतिवादी कम 01 वादीगण की आराजी को रहन, बेचान करने पर आमादा है । पटवारी हल्का द्वारा

बिना किसी जॉच किये गलत रिपोर्ट दी है तथा प्रतिवादी कम 03 द्वारा भी किसी तरह की कोई जॉच किये बिना नामान्तरकरण संख्या 722/41 खोला गया है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि नामान्तरकरण संख्या 722/411 दिनांक 30.11.2012 नल एण्ड वोईड घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी कम 01 का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज खाते किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजी से वादीगण की कब्जेशुदा आराजी से बेदखल नहीं करे और न ही उन्हें शान्तिपूर्वक काश्त करने में कोई बाधा उत्पन्न करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 1 नगरपालिका रामगंजमण्डी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.09.2021 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.2021 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी वादीगण अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर वो काबिज काश्त चले आ रहे हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सनुवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना वादीगण अपीलान्ट का वाद खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता एवं पति भवानीशंकर आत्मज नारायण लाल के नाम रजास्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जो उनके स्वर्गवास के बाद इंतकाल संख्या 588 दिनांक 13.06.2007 से अपीलान्ट के नाम दर्ज की गई तथा बाद राजस्व रिकॉर्ड अपीलान्ट उक्त आराजी का उपयोग एवं उपभोग बहैसियत खातेदार निरन्तर करते चले आ रहे हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा तहसीलदार रामगंजमण्डी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 20.08.2020 में पाया गया कि मौके पर उक्त भूमि में पूर्व दिशा की तरफ आवासीय कॉलोनी बनी हुई है जिसका क्षेत्रफल 0.32 हैक्टर एवं शेष भाग 0.33 हैक्टर में मौके पर कृषि की जा रही है तथा मौके पर सोयाबीन की फसल काश्त की गई।

इसके बावजूद भी परीक्षण न्यायालय ने मौका देखे बिना अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद का रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया और न ही रेस्पोडेन्ट के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि यदि प्राधिकृत अधिकार द्वारा किसी प्रकार की कोई गलत कार्यवाही की है तो उसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील की जानी चाहिए थी । नगरपालिका में नियमानुसार यह कॉलोनी वर्ष 1999 से पूर्व की है जिसमें खातेदार/कब्जेदारों के आवेदन 90 ए करने का अधिकार नगरपालिका को है जिनके आवेदन पर उक्त भूमि 90ए में सिवायचक कर नगरपालिका के नाम की गई है। नियमानुसार अखबार में सार्वजनिक विज्ञप्ति दी जाकर तहसीलदार एवं पटवारी से रिपोर्ट मंगवायी जाकर नियमानुसार 90ए की कार्यवाही की गई है । इसी आधार पर परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2005–25 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम रोसली की खाता संख्या नया 76 में खसरा नम्बर 185 की रकबा 0.02 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 0.65 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.67 हैक्टर भूमि भवानीशंकर पुत्र नारायण लाल के खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 588 दिनांक 13.06.2007 से भवानीशंकर के फौत होने से उनके स्थान पर संतोष पुत्री पार्वती बेवा का नाम खाते दर्ज हुआ का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम रोसली की आराजी खाता संख्या नया 207 में खसरा नम्बर 186 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका रामगंजमण्डी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है । नकल नामान्तरकरण संख्या 722/411 प्रदर्श–3 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 186 रकबा 0.65 हैक्टर आराजी 90 बी सिवायचक दर्ज की गई है । प्रदर्श– 4 नोटिस की प्रति है । प्रदर्श– 5 डाक विभाग की रसीदें हैं । प्रदर्श– 6 व 7 प्राप्ति की रसीदें हैं ।

11. प्रतिवादी द्वारा परीक्षण न्यायालय में कार्यालय नगरपालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा प्रारूप –12 दिनांक 29.10.2012 सूचना पत्र प्रदर्श– 1 डी पेश किया है । प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगरपालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा जारी आदेश दिनांक 18. 11.2012 प्रदर्श– 2 डी एवं प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगरपालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा 08 नवम्बर, 2012 के अखबार में लोक सूचना प्रकाशित की गई है की फोटो प्रति प्रदर्श– 3 डी पेश किये गये हैं ।

12. वादी की ओर से बयान पीडब्ल्यू–1 संतोष, पीडब्ल्यू–2 पार्वती बाई, पीडब्ल्यू–3 ओमप्रकाश कराये गये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान सत्यनारायण कराये गये है जिस पर पीडब्ल्यू अथवा डीडब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं है ।

14. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी वर्तमान नगरपालिका रामगंजमण्डी के नाम 90 ए की कार्यवाही होने के बाद दर्ज रिकॉर्ड है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी की 90 ए की कार्यवाही करने से पूर्व नगरपालिका रामगंजमण्डी द्वारा वादीगण अपीलान्ट को सूचना दी गई है जिस पर वादी कम 02 की पत्नी के अंगूठा निशानी है जो प्रदर्श– 1 डी पत्रावली में संलग्न है । इसी प्रकार प्रदर्श– 3 डी पत्रावली में संलग्न है जिसके अनुसार सार्वजनिक अखबार में सूचना जारी की गई है । इससे स्पष्ट है कि 90ए की कार्यवाही करते समय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया । वादग्रस्त आराजी के बडे हिस्से का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा था तथा उक्त भूमि के कब्जेदारों के आवेदन करने पर उक्त भूमि 90ए में सिवायचक कर नगरपालिका के नाम दर्ज की गई है। नियमानुसार अखबार में सार्वजनिक विज्ञप्ति दी जाकर तहसीलदार एवं पटवारी से रिपोर्ट मंगवायी जाकर नियमानुसार 90ए की कार्यवाही की गई है । वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 18.11.2012 जिसके द्वारा उक्त भूमि को 90 ए दर्ज कर संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है । अपीलान्ट इसके लिए स्वतंत्र है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 09 तनकी कायम की गई है । परीक्षण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष तथा निर्णय पारित कर निर्णय पारित किया है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक तनकी के निष्कर्ष से सहमत हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.2021 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/218

1. संतोष पुत्री भवानी शंकर जी पत्नी ओम प्रकाश जाति मेहर ।
2. पार्वती बाई बेवा भवानी शंकर जाति मेहर निवासीगण रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी ।
3. जिला कलक्टर, कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.2021 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 1710/दावा/2016

1. संतोष पुत्री भवानी शंकर जी पत्नी ओम प्रकाश जाति मेहर ।
2. पार्वती बाई बेवा भवानी शंकर जाति मेहर निवासीगण रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. जिलाधीश महोदय, कोटा जिला कोटा ।
3. तहसीलदार, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 17.10.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री छोटू लाल जाटव एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.2021 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 17.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा